

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 2877/VII-1/2018/190ख/13  
देहरादून, दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री चेताराम, मोहल्ला टांडा बंजारा, सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में शासनादेश दिनांक 7.11.2013 द्वारा जिला उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम सुल्तानपुर के क्षेत्रान्तर्गत 1.126 है० नाप भूमि में उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उधमसिंहनगर द्वारा श्री जसवन्त सिंह, पट्टाधारक के पक्ष में उक्तानुसार स्वीकृत खनन पट्टे की स्वीकृति दिनांक से माह दिसम्बर, 2016 तक की रायल्टी एवं किस्तों के सापेक्ष देयता की अवशेष धनराशि ₹ 73,51,543/- तथा रिवर ट्रेनिंग एवं विकास शुल्क स्वरूप ₹ 1,63,165/- कुल ₹ 75,14,708/- को ब्याज सहित निर्धारित लेखाशीर्षक में 03 दिन के भीतर जमा किये जाने हेतु नोटिस दिनांक 21.1.2017 निर्गत किया गया है। उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उधमसिंहनगर के उक्त नोटिस के क्रम में उक्तानुसार ₹ 75,14,708/- की धनराशि जमा किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी आर०सी० दिनांक 5.5.2017 जारी की गई है, जिसके विरुद्ध श्री जसवन्त सिंह, पट्टाधारक द्वारा शासन में अपील योजित की गई। शासन के समक्ष प्रस्तुत अपील के संबंध में शासन के पत्र संख्या-2249/VII-1/2018/190 ख/2013, दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 द्वारा अपीलकर्ता को संसूचित करते हुए सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री जयप्रकाश प्रतिनिधि, उप निदेशक, खनन, उधमसिंहनगर।
4. श्री जसवन्त सिंह, अपीलार्थी।

2. श्री जसवन्त सिंह, अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे की रिवर ट्रेनिंग की धनराशि ₹ 1,63,165.00 को छोड़कर शेष धनराशि जमा कर दी गयी है, जिसमें उनके द्वारा माफ किये जाने का अनुरोध किया गया।

3. सुनवाई में उप निदेशक, खनन, उधमसिंहनगर के प्रतिनिधि द्वारा उप निदेशक, खनन, उधमसिंहनगर के पत्र संख्या-2299/उ०सि०न०/2018-19, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उप निदेशक, खनन, उधमसिंहनगर की आख्यानुसार श्री जसवन्त सिंह के पक्ष में तत्समय खनन पट्टा विलेख में स्वीकृत क्षेत्रफल 1.126 है० x 1.5 x 1.9 x 10000 = 32091 टन उपखनिज की मात्रा के लिए रायल्टी की दर 50 रूपया प्रति टन के स्थान पर त्रुटिवश 90 प्रति टन के अनुसार वार्षिक पट्टाधनराशि का आगणन किया गया था, जबकि वार्षिक पट्टा धनराशि का आगणन 50 रूपया प्रति टन के अनुसार किया जाना था। उक्तानुसार ही पट्टाधारक को माह दिसम्बर, 2016 तक की रायल्टी एवं किस्तों के सापेक्ष ₹ 75,14,708/- की देयता की अवशेष धनराशि हेतु की वसूली हेतु पत्र दिनांक 13.2.2017 जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को प्रेषित किया गया था।

4. उप निदेशक, खनन की आख्यानुसार पूर्व के खनन पट्टा विलेख के अनुसार प्रथम तीन वर्षों की पट्टा धनराशि ₹ 1,10,11,226/- आगणित होती है, जिसके सापेक्ष कुल ₹ 36,45,683/- ही पट्टाधारक द्वारा राजकोष में जमा की गयी। इस प्रकार पूर्व में ₹ 73,51,543/- कम जमा की गयी तथा रिवर ट्रेनिंग एवं विकास शुल्क स्वरूप ₹ 1,63,165/- कुल ₹ 75,14,708/- कम जमा किये जाने के कारण आर०सी० जारी की



गयी। पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2016 के अनुसार एवं पूर्व में आगणित की गयी रायल्टी की दर को संशोधित करते हुए अनुपूरक खनन पट्टा विलेख तैयार करवाया गया है, जिसके अनुसार प्रथम तीन वर्षों की पट्टा धनराशि ₹ 59,86,035/-आगणित होता है। प्रथम वर्ष में इनके द्वारा निकासी के सापेक्ष रायल्टी ₹ 28,86,570/-जमा की गयी है तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पट्टा धनराशि ₹ 43,81,479/-के सापेक्ष ₹ 7,66,113/-राजकोष में जमा की गयी है, जिसके अनुसार पूर्व के दो वर्षों की पट्टा धनराशि ₹ 36,15,366/-एवं रिवर ट्रेनिंग एवं विकास शुल्क स्वरूप ₹ 1,63,165/-कुल ₹ 37,78,531/-अवशेष आगणित होता है, जिनमें से रिवर ट्रेनिंग के ₹ 1,63,165/-को छोड़कर शेष धनराशि पट्टाधारक द्वारा राजकोष में जमा कर दी गयी है।

अपील में अधोहस्ताक्षरी ने सभी पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध सभी प्रपत्रों/अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :-

### आदेश

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री चेताराम, मोहल्ला टांडा बंजारा, सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर के पक्ष में शासनादेश दिनांक 7.11.2013 द्वारा जिला उधमसिंहनगर, तहसील बाजपुर के ग्राम सुल्तानपुर के क्षेत्रान्तर्गत 1.126 है० नाप भूमि में स्वीकृत उपखनिज के खनन पट्टे की देयता के संबंध में उप निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उधमसिंहनगर की आख्या दिनांक 22.10.2018 अनुसार पट्टाधारक द्वारा रिवर ट्रेनिंग की धनराशि ₹ 1,63,165/-को छोड़कर शेष धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है। रिवर ट्रेनिंग की धनराशि माफ किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः श्री जसवन्त सिंह, पट्टाधारक को उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे की रिवर ट्रेनिंग की अवशेष धनराशि 15 माह में जमा किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

बृजेश कुमार संत  
अपर सचिव

संख्या: 2877 (1)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री चेताराम, मोहल्ला टांडा बंजारा, सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(बृजेश कुमार संत)  
अपर सचिव